रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 29 अप्रैल, 1991/9 बशाख, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

हमीरपुर, 8 अप्रैल, 1991

संख्या एफ० एस०/3-41/87/2104-80.—मैं, एस० एम० कटवाल, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम परचून विक्रय मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवेन्शन आदेश, 1977 जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० डी० एस-ए-3 (2) 77, दिनांक 30-10-1980 द्वारा संशोधित है

की धारा 3 (1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के सभी करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं :—

क्रम संख्या	आदेश के शड्यूल अनुसार वस्तु क्रमांक	आवश्यक वस्तु का नाम	सभी करों सहित अधिकतम परचून विक्रय दर	
1	2	3	4	
			थोक	परचून
1.	2.	डबल रोटी 400 ग्राम मोम जामा कागज में पैक की हुई परचून भाव ।	रु0 2.75	2.85
		डबल रोटी 400 ग्राम सादे कागज में	रु0 2.65	2.75
		डबल रोटी 200 ग्राम मोम जामा कागज में पैक परचून भाव ।	रु0 1.40	1.45
		डबल रोटी 200 ग्राम सादे कागज में	रु0 1.35	1.40
		मांस :		
2.	12	बकरा मीट (टुंडी मुंडी के बिना)	रु0 35/- प्रति किलो	
		कलेजी किमा	रु0 36/- ,,	
		मीट सुअर	रु0 18/- ,,	
		मुर्गा जीवित	रु0 24/- ,,	
		मुर्गा साफ किया हुआ	रु0 32/- ,,	
		ब्रायलर साफ किया हुआ	रु0 36/- ,,	
		मछली :		
		मछली ग्रेड "ए"	रु0 24/- ,,	
		मछली तली हुई	रु0 38/- ,,	
		अन्डा :		
3.	13	कच्चा अण्डा	3 प्रतिशत थोक 5 प्रतिशत	
		उबला अण्डा	10 पैसे प्रति अन्डा उबाल कर उपरोक्त लाभ से अलग लेगा ।	
4.	17	होटल ढाबों में परोसा जाने वाला खाना :		
		खाना पूरी खुराक दाल सब्जी सहित	रु0 6/- प्रति खाना	
		चपाती तवा	रु0 0.40 प्रति चपाती	
		चपाती तन्दूरी	रु0 0.50 प्रति चपाती ।	
		स्पैशल सब्जी, गोभी, राजमाह, कोफता, भिण्डी	रु0 4.50 प्रति प्लेट	
		मटर पनीर 6 पीस सहित पालक पनीर 6 पीस सहित	रु0 6/- प्रति प्लेट	
		मीट प्लेट 6 बड़े पीस सहित	रु0 12/- प्रति प्लेट	
		आधी प्लेट 3 पीस	रु0 6/- ,,	
		मुर्गा प्लेट	रु0 14/- ,,	
		चिली चिकन/मसाला चिकन/बटर चिकन	रु0 60/- ,, एक मुर्गा वजन किलो ।	
		तन्दूरी चिकन	30/- एक पीस 800 ग्राम से ऊपर ।	
		चाय	रु0 0.75 कप	
		चावल प्लेट	रु0 3/- प्लेट	
		दाल फराई	रु0 3/- ,,	

1	2	3	4
5.	18	दूध, दही तथा पनीर :	
		कच्चा दूध	रु0 5.50 प्रति किलो
		उबला दूध	रु0 6/- प्रति किलो
		चीनी डालकर	रु0 6.50 प्रति किलो
		टोन्ड दूध	रु0 6.50 प्रति किलो
		टोन्ड दूध थैली में	रु0 6.50 प्रति किलो
		दही	रु0 8/- प्रति किलो
		पनीर	रु0 34/- प्रति किलो
6.	20	ठण्डे पेय पदार्थ (बाटल्ड बीवरेज) :	
		थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पाट, ट्रिप, कैम्पा कोला, कैम्पा आरेंज तथा लैमन (गर्म)	रु0 3.40
		" " " (ठण्डा)	रु0 3.75
		लोकल चिल्ड :	
		7 स्टार औरेंज इत्यादि (गर्म)	रु0 2.25
		7 स्टार औरेंज इत्यादि (ठण्डा)	रु0 2.50
		लिमका लैमन (गर्म)	रु0 2.00
		लिमका लैमन (ठण्डा)	रु0 2.25
		लैमन (गर्म)	रु0 1.75
		लैमन (ठण्डा)	रु0 2.00
		खारा सोडा (गर्म)	रु0 1.25
		खारा सोडा (ठण्डा)	रु0 1.50

टिप्पणी.—"दुकानदार को दुकान में सहज के दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करना और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।"

यह आदेश सम्पूर्ण हमीरपुर जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेगा।

एस0 एम0 कटवाल,
जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला—176215, 20 मार्च, 1991

संख्या 4177–82.—क्योंकि श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान, ग्राम पंचायत भट्टूपंजाला, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा की सरकारी नौकरी में नियुक्ति हो चुकी है;

और क्योंकि सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी ने की है।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान, ग्राम पंचायत भट्टूपंजाला, विकास खण्ड बैजनाथ, को सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (बी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला-176215, 8 अप्रैल, 1991

संख्या 95-99.—क्योंकि ग्राम सभा कोठी कोहड़, विकास खण्ड बैजनाथ ने अपनी बैठक दिनांक 24-6-1990 के प्रस्ताव संख्या 1 में ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ द्वारा निर्मित रास्ता उपरली कोठी कोहड़, रास्ता गांव रूलिंग से जोत तक तथा पंचायत घर पर व्यय की गई राशियों को संदिग्ध बताते हुए मान्यता नहीं दी गई है;

और क्योंकि इस तथ्य की पुष्टि हेतु निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश द्वारा बातारीख अंकेक्षण आवश्यक समझते हुए विशेष अंकेक्षण जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा मास मार्च के तृतीय सप्ताह में करवाने से निम्न तथ्य/विसंगतियां दृष्टिगत हुई है जैसे :—

1. श्री झागु राम सुपुत्र श्री दयाल को	3-10-89 से 27-10-89
2. श्री अच्छरू राम सुपुत्र छवाडू	3-10-89 से 27-10-89
3. श्री झावा राम सुपुत्र जिऊणु	3-10-89 से 13-10-89
4. श्री हिरु राम सुपुत्र श्री शुभू राम	3-10-89 से 27-10-89

मास अक्तूबर, 1989 में निर्माण कार्य पुली कोठी कोहड़ और निर्माण रास्ता उपरली कोठी कोहड़ में एक ही साथ उपस्थित दिखाकर मजदूरी की अदायगी दिखाकर सभा निधि का छलहरण किया है।

(2) इसी प्रकार श्री राम चन्द सुपुत्र श्री छिन्जु राम को 8-10-89 से 17-10-89 तक पंचायत घर के मस्ट्रोल पर और पुली कोठी कोहड़ के कार्य पर मजदूर दिखाकर 1200/- रुपये मजदूरी की अदायगी करके राशि का छलहरण किया है।

(3) इसके अतिरिक्त रास्ता निर्माण उपरली कोठी कोहड़ के मास अक्तूबर, 1989 के मस्ट्रोल में 1 से 10 क्रम संख्या पर अंकित मजदूरी की हाजरियों का बढ़ाया गया है :—

क्रम संख्या	बढ़ाई गई उपस्थितियां
1,3,8	19 से 29 दिन
2, 4, 7, 9	20 से 29 दिन
5	16 से 26 दिन
6	13 से 28 दिन
10	11 से 30 दिन

जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तक से होती है अर्थात् चार हजार रुपये की राशि को काढ कर छः हजार बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सारा मस्ट्रोल 600/- रुपये का संदिग्ध है।

(4) उपरली कोहड़ की बावड़ी पर 8′ × 8′ × 4″ छत डालने पर 2129/- रुपये का व्यय दिखाया है जो कि अनुमान से बहुत अधिक है।

(5) श्री रघु राम सुपुत्र श्री बरड़ राम को मु0 500/- रुपये की मजदूरी को गांव रूलिंग से जोत तक निर्माण करते समय न देकर पंचायत रिकार्ड में राशि की अदायगी दिखाकर छलहरण किया है।

(6) पंचायत घर निर्माण के लिये सी0 जी0 आई0 के 24 पत्ते 10×3 लम्बे मु0 6260/- रुपये के क्रय करने पर केवल 16 पत्तों को ही प्रयोग किया गया है। शेष आठ पत्ते मौके पर नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि 8 पत्तों का व्यक्तिगत प्रयोग किया गया है या कम क्रय करके अधिक व्यय दिखाकर मु0 2086/- रुपये का छलहरण किया है।

(7) पंचायत घर निर्माण करते समय 9750/- रुपये लकड़ी की चराई के मूल रोकड़ पर और 600 तख्तों की चराई के 5400/- रुपये की अदायगी जवाहर रोजगार योजना से की गई है। इस कार्य पर कुल 97 2 तख्तों का चरान दिखाया गया है जबकि मौके पर केवल 386 तख्ते ही लगे हैं। इस प्रकार 586 तख्तों का चरान जो 9/- रुपये प्रति तख्ते की दर से 5274/- रुपये का व्यय संदिग्ध है।

(8) पुराने पंचायत कार्यालय और डिस्पैंसरी के कमरे के उखाड़ने पर कौन-कौन सी तथा कितनी सामग्री प्राप्त हुई है का स्टाक में कोई उल्लेख नहीं।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला इन उपरोक्त राशियों के छलहरण को ध्यान में रखते हुए श्री हरिचन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी कोहड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बने पचायत नियम 1971 के नियम 77 क अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह अपनी स्थिति एक पक्ष के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट कर कि क्यों न इन्हें प्रधान पद से सभा निधि के छलहरण के आरोप में निलम्बित/निष्कासित किया जाए। यदि विहित समय में स्पष्टीकरण नहीं पहुंचा तो यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है और लगाये गए आरोपों को मानते हैं।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ

कारण बताओ नोटिस

दिनांक, 4 अप्रैल 1991

संख्या कनर-502/79.—क्योंकि उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) विकास खण्ड निचार की रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 1990 के अन्तर्गत श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा, विकास खण्ड निचार ने मु0 20,000 (बीस हजार रुपये) ऋण की दूसरी किस्त सहकारी बैंक निचार से 20-12-88 को पंचायत स्टाल निर्माण भावानगर हेतु निकालकर उक्त राशि को अपने रिस्तेदार श्री बहादुर सिंह नेगी, ग्राम कंगोश को पेशगी दिखाकर उक्त राशि का दुरुपयोग किया है जबकि पंचायत स्टाल का कार्य जो 9/89 को पूर्ण किया जाना था। आज तक अपूर्ण है। उपरोक्त राशि को पेशगी दिखाकर बैंक से मिलने वाले ब्याज से पंचायत को वंचित रखा पंचायत स्टाल का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने के फलस्वरूप ऋण की किस्त जो कि 31-3-1990 को देय थी कोष में इस कारण जमा न किया गया;

क्योंकि इस सम्बन्ध में श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा, विकास खण्ड, निचार को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1990 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 (1) एवं हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिये निलम्बित किया जाये;

क्योंकि उनसे 25-9-90 द्वारा प्राप्त उत्तर और उस पर उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) निचार द्वारा प्राप्त टिप्पणियों के दृष्टिगत उनका स्पष्टीकरण असन्तोषजनक पाया गया है;

क्योंकि उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0) ने अपने पत्र क्रमांक सं0 नि0 ख0 पंच-2(2)-80-2660, दिनांक 3 जनवरी, 1991 द्वारा आगे सूचित किया है कि उन्होंने रोकड़ की पड़ताल की और पाया कि श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान ने दिनांक 20-12-88 को रु0 20,000 (बीस हजार रुपये) सहकारी बैंक निचार के प्लैज खाते से निकाले और रोकड़ में 6-6-89 को इन्द्राज किया। अतः स्पष्ट है कि श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा ने 6 महीने तक रु0 20,000/- रुपये अपने प्रयोग में रखे;

क्योंकि उन्होंने जिला अंकेक्षण अधिकारी के ग्राम पंचायत पौण्डा के अंकेक्षण पत्र दिनांक 9 व 10-11-89 के पैरा सं0 3 का भी संदर्भ दिया है जिसके अनुसार प्रधान द्वारा अपने पास 12/88 से 6-6-89 की अवधि के मध्य 20,000/- रुपये की राशि अनियमित रूप से रखी गई और अंकेक्षण अधिकारी ने इस राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूली करने हेतु भी लिखा है;

अतः मैं, दीपक सानन, जिलाधीश, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 1971 के नियम 77 क अन्तर्गत दोबारा फिर से अन्तिम कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा को प्रधान पद से निलम्बित किया जाए तथा राशि का दुरुपयोग करने पर अभियोग दर्ज किया जाए।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा को इस कारण बताओ नोटिस द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को ब्याज सहित तुरन्त बैंक में जमा करें तथा अपना स्पष्टीकरण राशि को दुरुपयोग किये जाने का उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0), विकास खण्ड निचार के माध्यम से इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजें निर्धारित अवधि पर उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

दीपक सानन,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर, रिकांग पिओ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 10 अप्रैल, 1991

संख्या एम0एन0डी0-डैव-डी0ए0-1/91.—क्योंकि प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 8224.43 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है तथा इस तरह उन्होंने सभा निधि का छलहरण/दुरूपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बनें रहना जनहितार्थ में नहीं है।

अतः मैं, एस0 के0 जरटा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों उन्ह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तथा तदानुसार मामले में उचित कार्यवाई अमल में लाई जावेगी।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 6 अप्रैल, 1991

संख्या एफ0 डी0 एस0 ऊना (एस0 सी0) 3/81-2393-2427.—मैं एम0 एल0 शर्मा, जिला दण्डाधिकारी, ऊना पथ निर्धारण सम्बन्धि अधिसूचना संख्या 6511-6553, दिनांक 14-11-1990 का अधिक्रमण करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (विनियमन तथा वितरण) आदेश, 1977 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मिट्टी तेल को उचित मूल्य की दुकानों/परचून डिपुओं को आपूर्ति के लिए निम्नलिखित थोक विक्रेताबार पथ सूची अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देता हूं।

क्र0 नम्बर	थोक विक्रेता का नाम	पथ नं0 पथ का नाम	पथ के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के नाम
1	2	3	
1.	मै0 कृष्णा कोल कम्पनी, ऊना	1. ऊना से सन्तोषगढ़	कुठार, वराना, जनकौर, नगड़ा, खानपुर, सन्तोखगढ़, अजौली, सनौली वोनवाल।
		2. ऊना से मदनपुर	ऊना, रक्कड़, क्लौनी, जलग्रां, मलाहत, मदनपुर, बसौली।
		3. ऊना से लठियाणी	कोटला, वरनोह, वौल, खुरवाई, थानाकलां, वंगाणा, लठियाणी, मलागढ़, रायपुर।
		4. ऊना से धमादरी	झलेड़ा, टक्का, वसाल, नारी चरालां, धमांदरी।
		5. तयुड़ी से तलमेडा	बदौली, पनोह, तयुडी, कड़वाल, भैरां, दियाड़ा, वडुही, चौकीमिनार, सौहारों, तलमेड़ा।
		6. चरुड़ू से ज्वार	चरुड़ू, नन्दपुर, ठठल, पजोआ, ठकारला, रिपोह, मिसरा, नहरीया पतेहड़, मेडी, ज्वार।
		7. कुठियाडो से चुआर	कुठोयाडी, पक्कापरों, अम्व, अन्दौरा, करलूही, चुआर।

1	2	3	4
		8. मुबारिकपुर से धर्मशाला महन्ता ।	मुबारिकपुर, घेवटवेहड़, भरवाई, चिन्तपूर्णी, जलादी, वड़, गगरेट, धर्मशाला महन्ता ।
2. मैं0 हरजीत सिंह एण्ड सन्ज, ऊना	1. ऊना से मैहतपुर		चताड़ा, वहडाला, भौडलीय, देहला, चडतगढ़, वनगढ़, मैहतपुर, वसदेहड़ा, रायपुर ।
	2. ऊना से हरोली		ऊना, अरनियाला, सलोह, भदसाली, सैन्सोवाल, हरोली ।
	3. हरोली से गोंदपुर		पालकवाह, टाहलीवाल, कुगडत, दुलैहड़, बीटन, सीगां, गोंदपुर, बाथु, वाथड़ी ।
	4. ईसपुर से गगरेट		ईसपुर, पडोगा, खड़, पजावर, नगनोली, जाडला, क्योडी, ओयल, गगरेट ।
	5. गगरेट से दौलतपुर		अम्बोटा, सघनैई, घनारी, नयल, जरियाला, अम्बोआ, भवा, मवलेट, दौलतपुर चौक ।
	6. सुकाली स जोह		अमलेहड़, नकडोह, वनेहड़ा, भद्र-काली, ववेहड़, मरवाड़ी, पृथ्वीपुर, जोह ।

शर्तें :—

1. मिट्टी वेल थोक विक्रेता मिट्टी तेल का वितरण निर्धारित पथ के अनुसार ही उस के अन्तर्गत आने वाले समस्त उचित मूल्य की दुकानों/अधिकृत डीलरों को आंवटन मात्रा अनुसार माह में दो बार करेगा तथा कोई भी परिवर्त्तन जिला दण्डाधिकारी, ऊना व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, ऊना की स्वीकृति के बिना नहीं होगा ।

2. थोक मिट्टी तेल विक्रेता मिट्टी तेल की प्राप्ती व वितरण का उचित अभिलेख बनाएगा तथा सही व सची सूचना प्रपत्र एक व दो पर निर्देशक खाद्य एवं आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश, शिमला, संयुक्त निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति, धर्मशाला तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति, नियन्त्रक, ऊना को हर माह की पहली तारीख को भेजेगा ।

3. मिट्टी तेल थोक विक्रेता मिट्टी तेल को आपूर्ति अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से करेगा और यह भी ध्यान रखें कि उसके क्षेत्र में कोई भी उचित मूल्य की दुकान मिट्टी के तेल के बिना न रह जाए । उपरोक्त आदेशों को किसी प्रकार की अवहेलना और जिला के बाहर के व्यक्तियों को मिट्टी तेल वितरण का मामला कढ़ाई से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(7) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

यह आदेश तुरन्त लागू समझे जायें ।

एम0 एल0 शर्मा,
जिला दण्डाधिकारी, ऊना ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।